

12/9/17 वकील उमग्रपट्टा उपर लमग्र चाहा अतः
पूर्व आदेशानुसार पत्रवली दिनांक 3/10/17
को पेश है।

2359
19/9/17

दिना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3/10/17 वकील उमग्रपट्टा उपर वकील इन्फिडेंट
ने वकील पेश किया था. प्रा. है। वकील
अपीलाथी ने लमग्र चाहा अतः पत्रवली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/10/17 को
पेश है।

दिना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

9/10/17 वकील अपीलार्थी व वकील इन्फिडेंट
ने एक उपर अपीलार्थी पहचान पर
की लीखे पत्र (आधार कार्ड) प्रस्तुत कर
अपीलाथी को पहचान नकी जाव
पारनापर कबल अपीलार्थी ने
प्रस्तुत कर कथन किया कि पत्रकारान
के मध्य बाकीनामा है जाने के अपीलार्थी
अब अपील आगे नहीं चलाना चाहता।
अतः अपील खारिज की जावे। हमने
पत्रवली का अवलोकन किया। अपीलार्थी
आरा आगे अपील नहीं चलाने के
अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है
पत्रवली फिलाल सुमाए होकर नबबर
के काम है। तहत अपीलार्थी विधिवत
अभिहित हो। पत्रवली आदलतको ली जाया
गया।

अतिरिक्त
वतलीत
अभिप्राय

अतिरिक्त दिना
जयपुर